[2018] 1 एससीआर 74

राष्ट्रीय कामगार संघ

बनाम

क्रैन रेडर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड एवं ओ.आर.एस.

(2018 की सिविल अपील संख्या 20)

जनवरी 05, 2018

[आरके अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जेजे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947- अध्याय VB - 5.25K - प्रयोज्यता - कारखाने के मालिक द्वारा विनिर्माण इकाई को बंद करना - मालिक द्वारा बंद करने का नोटिस जारी करना - अपीलकर्ता- कारखाने के मालिक के खिलाफ संघ द्वारा शिकायत - औद्योगिक न्यायालय ने 115 श्रमिकों के कारण बंद को अवैध ठहराया प्रासंगिक समय पर काम करते हुए पाए गए और यूनिट को बंद करते समय 5.25K का अनुपालन नहीं किया गया - हालांकि, उच्च न्यायालय ने माना कि 99 कर्मचारी प्रासंगिक समय पर यूनिट में काम करते हुए पाए गए, इस प्रकार, घोषित करते समय 5.25K का अनुपालन नहीं किया गया। बंद करने की आवश्यकता नहीं - हस्तक्षेप - माना गया: उच्च न्यायालय द्वारा सौंपा गया तर्क उचित और उचित है, इस प्रकार, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - इकाई में प्रासंगिक समय पर कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या 99 थी और 16 विवादित कर्मचारियों की स्थिति हो सकती है निर्णायक रूप से यह साबित नहीं किया जा सकता कि वह "कर्मचारी" था - अपीलकर्ता ने 16 कर्मचारियों की स्थिति को साबित करने के लिए, कारखाने के मालिक के सबूत के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया, इस प्रकार, इस न्यायालय के लिए इसे रोकना संभव नहीं था कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह से मनमाना या अवैध या साक्ष्य के विरुद्ध है - चूंकि श्रमिकों की संख्या 100 से कम थी, इसलिए कारखाने के मालिक के लिए अध्याय VB का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं था - धारा 25-K के पास प्रतिवादी के लिए कोई आवेदन नहीं था। .I - इस प्रकार, उचित सत्यापन करने के बाद, मुआवजा स्वीकार नहीं करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को एकमुश्त 2,50,000/- रुपये का मुआवजा देना उचित और उचित है - महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम की रोकथाम प्रैक्टिस एक्ट, 1971 - धारा 28 - एसएच. चतुर्थ आइटम 9, 10.

भारत का संविधान - अनुच्छेद 136 - तथ्य के प्रश्न के तहत अपील - माना गया: पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना के आधार पर न्यायालयों द्वारा निर्णय लिया जाना है - एक बार जब न्यायालय ऐसे प्रश्न पर कोई निष्कर्ष दर्ज करते हैं, चाहे वह सहमति या उलट हो, तो निष्कर्ष आमतौर पर बाध्यकारी माना जाता है इस न्यायालय पर - केवल जब ऐसा निष्कर्ष कानून या साक्ष्य के किसी प्रावधान के विरुद्ध पाया जाता है या विकृत होता है, तो इसे वरिष्ठ न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं माना जाएगा - भले ही उठाया गया प्रश्न तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्नों में से एक हो, यह न्यायालय निष्कर्ष में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से गलत न हो।

अनुच्छेद 227 - पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार - का प्रयोग - कब - आयोजित: किसी निष्कर्ष को दर्ज करते समय, यदि उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय भौतिक साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहा है या बिना किसी सबूत के निष्कर्ष को दर्ज किया है, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का हकदार होगा।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए

माना: 1.1 उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क न्यायसंगत और उचित प्रतीत होता है, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 13]

1.2 यदि प्रासंगिक समय पर श्रमिकों की संख्या 100 से ऊपर थी, तो उस स्थिति में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-के के प्रावधान प्रतिवादी नंबर 1 पर लागू होते थे, जबकि यदि कर्मचारियों की संख्या 100 से कम थी, तो ऐसी स्थिति में घटना, धारा 25K के प्रावधानों का कोई अनुप्रयोग नहीं था। पूर्व के मामले में, अपीलकर्ता-संघ सफल होता है और बाद के मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 सफल होता है। [पैरा 15]

1.3 यह प्रश्न कि इकाई में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या क्या है या, दूसरे शब्दों में, किसी विशेष इकाई में कितने कर्मचारी काम कर रहे थे, मूलतः तथ्य का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न का निर्णय पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की सराहना के आधार पर न्यायालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है। एक बार जब न्यायालय ऐसे प्रश्न पर कोई निष्कर्ष दर्ज कर लेता है, चाहे वह सहमति का हो या उलट का, तो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील की सुनवाई करते समय निष्कर्ष को आम तौर पर इस न्यायालय पर बाध्यकारी माना जाता है। ऐसा तभी होता है जब ऐसा निष्कर्ष कानून या साक्ष्य के किसी भी प्रावधान के खिलाफ पाया जाता है या इस हद तक पूरी तरह से विकृत पाया जाता है कि कोई भी औसत न्यायिक

व्यक्ति कभी भी इस तरह के निष्कर्ष को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, इसे वरिष्ठ न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। [पैरा 17-19]

1.4 यह प्रश्न कि "कर्मचारी" की स्थिति क्या है, इसका अनुमान कानूनी तौर पर पाए गए तथ्यों से लगाया जाना चाहिए और यदि इसमें शामिल प्रश्न पाए गए तथ्यों से किसी पार्टी की स्थिति के बारे में कानूनी निष्कर्ष निकालना है , यह तथ्य का शुद्ध प्रश्न नहीं है। यह माना जाता है कि यदि श्रमिक की स्थिति के संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कुछ कानूनी परीक्षणों का अनुप्रयोग शामिल है, तो यह आवश्यक रूप से तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न बन जाता है। भले ही उठाया गया प्रश्न तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्नों में से एक हो, यह न्यायालय ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि उक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से गलत है। [पैरा 20,21]

लॉयड्स बैंक लिमिटेड नई दिल्ली बनाम पन्ना लाल गुप्ता **एआईआर 1967 एससी 428 - संदर्भित।**

1.5 रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में उलटफेर के बावजूद हस्तक्षेप करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी नंबर 1 की इकाई में प्रासंगिक समय पर कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या 99 थी और बताए गए कारणों से 16 विवादित कर्मचारियों की स्थिति को निर्णायक रूप से "कर्मचारी" साबित नहीं किया जा सका। सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने कारण बताए कि क्यों औद्योगिक न्यायालय का श्रमिकों की संख्या 115 मानने का निष्कर्ष तथ्यात्मक और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। दूसरा, दिए गए कारण न तो मनमाने हैं, न ही रिकॉर्ड के विरुद्ध हैं और न ही उस घटना के प्रति विकृत हैं, जिससे इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। तीसरा, इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस प्रश्न पर संपूर्ण साक्ष्यों की नए सिरे से सराहना करने में धीमा होगा और अंत में, तथ्य का प्रश्न या कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न होने के कारण, यह इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। [पैरा 23, 24]

1.6 साक्ष्यों को देखने के बाद, यह पाया गया कि उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई न्यायिक त्रुटि नहीं की। औद्योगिक न्यायालय ने माना कि 79 श्रमिकों की स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं था। एक कर्मचारी की स्थिति का विवाद केवल 36 कर्मचारियों तक ही सीमित था, अर्थात् उनकी स्थिति "कर्मचारी" या "पर्यवेक्षक" की थी या नहीं। हालाँकि, औद्योगिक न्यायालय ने माना कि सभी 36 कर्मचारियों की स्थिति "श्रमिक"

की थी और तदनुसार एक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि 79+36 = 115 कर्मचारी प्रासंगिक समय में इकाई में "श्रमिक" के रूप में काम कर रहे थे। [पैरा 25]

1.7 उच्च न्यायालय, हालांकि, औद्योगिक न्यायालय के निष्कर्ष को पलटते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 36 कर्मचारियों में से केवल 20 कर्मचारियों को "कर्मचारी" माना जा सकता है और इसलिए, सभी प्रासंगिक समय में श्रमिकों की कुल संख्या 79 थी +20 = 99. उच्च न्यायालय ने ठीक ही माना कि शेष 16 कर्मचारियों की स्थिति को साबित करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया था कि क्या उन्हें भी यूनिट में कार्यरत "कर्मचारी" माना जा सकता है और इसलिए, यह था यह मानना संभव नहीं है कि प्रासंगिक समय में श्रमिकों की कुल संख्या 100 से अधिक थी, यानी 115। उच्च न्यायालय के तर्क से सहमत होते हुए, यह पाया गया कि चूंकि औद्योगिक न्यायालय ने इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा नहीं की थी 36(20+16) को 79 के साथ जोड़ने के अलावा श्रमिकों की संख्या 115 पर रखते हुए 16 कर्मचारियों की स्थिति, उच्च न्यायालय अनुमेय सीमा तक साक्ष्य में जाने में सही था और औद्योगिक न्यायालय के निष्कर्ष को उलट दिया। औद्योगिक न्यायालय को ऐसे प्रत्येक विवादित कर्मचारी की स्थिति की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए थी कि क्या उन्हें "कर्मचारी" माना जा सकता है। हालाँकि, ऐसा नहीं किया गया। अपीलकर्ता ने, 16 कर्मचारियों की स्थिति को साबित करने के लिए, प्रतिवादी नंबर 1 के साक्ष्य के मुकाबले कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। इसलिए, इस न्यायालय के लिए यह मानना संभव नहीं है कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह से मनमाना या अवैध या साक्ष्य के विरुद्ध है। [पैरा 26, 27 और 29]

1.8 पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय यह देखना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कानून के अनुसार किया है और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई अवैधता या विकृति नहीं की है। किसी निष्कर्ष को दर्ज करते समय, यदि उच्च न्यायालय को यह पता चलता है कि अधीनस्थ न्यायालय भौतिक साक्ष्यों पर विचार करने में विफल रहा है या बिना किसी सबूत के किसी निष्कर्ष को दर्ज किया है, तो उच्च न्यायालय ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का हकदार होगा। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इसके पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का। इस तरह के मामले यहां है। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को परेशान करना उचित नहीं है जो औद्योगिक न्यायालय की तुलना में अधिक प्रशंसनीय और उचित हैं। [पैरा 31-33]

1.9 प्रतिवादी नंबर 1 ने इकाई बंद करने की घोषणा के समय अपनी विनिर्माण इकाई में 99 श्रमिकों को नियोजित किया था। चूँकि श्रमिकों की संख्या 100 से कम थी, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के लिए अध्याय VB का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में, धारा 25-के के प्रावधान प्रतिवादी नंबर 1 पर लागू नहीं होते। [पैरा 34]

1.10 मामले के पृष्ठभूमि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उचित सत्यापन करने के बाद, मुआवजा स्वीकार नहीं करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को एकमुश्त 2,50,000/- रुपये का मुआवजा देना उचित और उचित है। यदि कोई श्रमिक किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे श्रमिक को देय राशि का भुगतान उसके कानूनी प्रतिनिधियों या निकटतम रिश्तेदारों, जैसा भी मामला हो, को किया जाएगा। [पैरा 38-39]

<u>केस कानून संदर्भ</u>

एआईआर 1967 एससी 428 पैरा 21 का हवाला दिया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 20

रिट याचिका संख्या 5241/2003 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.09.2014 से।

अपीलकर्ता के लिए बी. एच. मार्लापल्ले, वरिष्ठ वकील, आदित्य गग्गर, अजीत वाघ, ओ. पी. गग्गर, अपूर्व शुक्ला, वकील।

संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ वकील, डी. जे. भानेज, विकास मेहता, सुश्री अनुश्री मेनन, अनिल कुमार मिश्रा-I, प्रांजल किशोर, अंकित धवन, उत्तरदाताओं के वकील।

न्यायालय का निर्णय **अभय मनोहर सप्रे, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी

2. यह अपील अपीलकर्ता-ट्रेड यूनियन द्वारा 2003 की रिट याचिका संख्या 5241 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 12.09.2014 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी थी। नंबर 1-क्रान रेडर प्रा. लिमिटेड और 1990 की एक शिकायत (यूएलपी) संख्या 544 में औद्योगिक न्यायालय, पुणे द्वारा पारित दिनांक 08.04.2003 के फैसले को रद्द कर दिया और, परिणामस्वरूप, यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया।

3. अपील में शामिल संक्षिप्त मुद्दे की सराहना करने के लिए, कुछ प्रासंगिक तथ्यों को सामने रखना आवश्यक है।

4. अपीलकर्ता ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत पंजीकृत ट्रेड यूनियन है जिसके कई सदस्य कारखानों में काम करते हैं। प्रतिवादी नंबर 1 के पास पुणे में एक फैक्ट्री (विनिर्माण इकाई) थी। यह इकाई मूल रूप से प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के स्वामित्व में थी, जिन्होंने बदले में इसे 1991 में प्रतिवादी संख्या 4 को बेच दिया और फिर इसका स्वामित्व प्रतिवादी

संख्या 1 के पास हो गया। यूनिट रेलवे को आपूर्ति के लिए ट्रैक्शन गियर्स, तेल उद्योगों और अन्य विनिर्माण इकाइयों के लिए फोर्जिंग आदि जैसे कई घटकों के निर्माण में लगी हुई थी। अपीलकर्ता-संघ के सदस्य सभी प्रासंगिक समय में प्रतिवादी नंबर 1 के कारखाने में काम कर रहे थे।

5.1990 में, प्रतिवादी नंबर 1 को उक्त विनिर्माण इकाई को चलाने में व्यावसायिक हानि हुई और इसलिए, उसने उक्त इकाई को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी नंबर 1 ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, "आईडी अधिनियम") की धारा 25 एफएफए के तहत राज्य सरकार (महाराष्ट्र) को 29.08.1990 को एक प्रति के साथ बंद करने का नोटिस दिया। अपीलकर्ता-संघ ने 29.10.1990 से 60 दिनों की समाप्ति पर यूनिट के संचालन को बंद करने का इरादा व्यक्त किया।

6. अपीलकर्ता-संघ ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी किए गए समापन नोटिस से व्यथित महसूस करते हुए, महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और रोकथाम की अनुसूची IV के आइटम 9 और 10 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 28 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अक्टूबर 1990 में पुणे के औद्योगिक न्यायालय में अनुचित श्रम व्यवहार अधिनियम, 1971 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) शिकायत (यूएलपी) संख्या 544/1990 थी।

7. संक्षेप में, अपीलकर्ता की शिकायत यह थी कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपनी विनिर्माण इकाई में पिछले 12 महीनों के लिए प्रति कार्य दिवस पर औसतन 100 से अधिक श्रमिकों को नियोजित किया था, अध्याय VB (धारा 25-) के प्रावधान के) आईडी अधिनियम और, बदले में, उसमें शामिल सभी प्रासंगिक प्रावधान प्रतिवादी नंबर 1 पर लागू थे। यह आरोप लगाया गया था कि इस कारण से, प्रतिवादी नंबर 1 पर यूनिट को बंद करने के लिए लागू सभी प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य था। यह आरोप लगाया गया था कि चूंकि बंद करने के लिए लागू प्रासंगिक प्रावधानों का प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए अधिनियम के साथ पढ़े गए आईडी अधिनियम के तहत एक मामला बनाया गया था ताकि यह घोषणा की जा सके कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा घोषित बंद करने का इरादा था, दिनांक 29.08.1990 के उनके नोटिस के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा उनके पक्ष में शिकायत में मांगी गई ऐसी घोषणा के अनुदान से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक कार्यकर्ता को सभी परिणामी राहत प्रदान करना, अधिनियम के साथ पढ़े गए आईडी अधिनियम के तहत अवैध है।

8. प्रतिवादी नंबर 1 (नियोक्ता) ने जवाब दाखिल किया और अपीलकर्ता-संघ द्वारा अपनी शिकायत में लगाए गए आरोपों से इनकार किया। प्रतिवादी नंबर 1 के अनुसार उन्होंने

कभी भी अपनी इकाई में 100 से अधिक श्रमिकों को नियोजित नहीं किया ताकि बंदी को प्रभावी बनाने के लिए अध्याय VB और आईडी अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों की कठोरता को आकर्षित किया जा सके। दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी नंबर 1 के अनुसार, उनकी इकाई में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या हमेशा 100 से कम थी, इसलिए, अध्याय VB के प्रावधान और [.डी. के संबंधित प्रावधान। अधिनियम का प्रतिवादी नंबर 1 पर कोई आवेदन नहीं था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 29.10.1990 से यूनिट को बंद करने का लिया गया निर्णय कानूनी, उचित और कानून के अनुसार था और इसलिए इसमें कोई गलती नहीं की जा सकती।

9. पार्टियों ने अपने-अपने तर्कों के समर्थन में साक्ष्य (वृत्तचित्र/मौखिक) प्रस्तुत किए। औद्योगिक न्यायालय ने अपने दिनांक 08.04.2003 के फैसले द्वारा अपीलकर्ता की शिकायत को स्वीकार कर लिया। यह माना गया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपनी इकाई में सभी प्रासंगिक समय पर 115 श्रमिकों को नियोजित किया था, इसलिए, इकाई को बंद करते समय आईडी अधिनियम के अध्याय VB के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक था। यह माना गया कि चूंकि प्रासंगिक प्रावधानों का प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए प्रश्न को बंद करना कानून की दृष्टि से खराब था, जिससे अपीलकर्ता-संघ के सदस्यों को इससे उत्पन्न होने वाले सभी परिणामी लाभों का दावा करने का अधिकार मिल गया, जैसे कि इकाई बंद नहीं हुई थी। .

10. प्रतिवादी नंबर 1 ने व्यथित महसूस किया और बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। आक्षेपित निर्णय द्वारा, एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और औद्योगिक न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए अपीलकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी नंबर 1 की इकाई में सभी प्रासंगिक समय पर काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या 99 थी, न कि 115, जैसा कि औद्योगिक न्यायालय ने माना था। यह माना गया कि इस कारण से, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए अपनी इकाई को बंद करने की घोषणा करते समय आईडी अधिनियम के अध्याय वी.बी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं था।

11. अपीलकर्ता-संघ ने व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की।

12. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बीएच मार्लापल्ले और उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डीजे भानेज और श्री संजय आर. हेगड़े को सुना गया।

13. पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हमें उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय द्वारा सौंपा गया तर्क उचित और उचित प्रतीत होता है, जिसमें नीचे उल्लिखित कारणों से कोई हस्तक्षेप नहीं है।

14. मुख्य प्रश्न, जो इस अपील में विचार के लिए उठता है, वह केवल एक है, अर्थात्, सभी प्रासंगिक समय में प्रतिवादी नंबर 1 की इकाई में कितने श्रमिक काम कर रहे थे, क्या श्रमिकों की संख्या 100 से ऊपर थी या कम थी। 100. दूसरे शब्दों में, प्रश्न, जो विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या आईडी अधिनियम के अध्याय वीबी की धारा 25-के के प्रावधान प्रासंगिक समय पर प्रतिवादी नंबर 1-यूनिट पर लागू थे।

15. यदि प्रासंगिक समय पर श्रमिकों की संख्या 100 से ऊपर थी, तो उस स्थिति में, धारा 25-के के प्रावधान प्रतिवादी नंबर 1 पर लागू होते थे, जबकि यदि ताकत 100 से कम थी, तो ऐसी स्थिति में, धारा 25-के के प्रावधान लागू होते थे। 25K के पास कोई आवेदन नहीं था। पूर्व के मामले में, अपीलकर्ता-संघ सफल होता है और बाद के मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 सफल होता है।

16. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, औद्योगिक न्यायालय ने माना कि 115 श्रमिक प्रासंगिक समय पर काम करते हुए पाए गए, जबकि उच्च न्यायालय ने कहा कि 99 श्रमिक प्रासंगिक समय पर प्रतिवादी नंबर 1 की इकाई में काम करते हुए पाए गए।

17. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यह प्रश्न कि इकाई में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या क्या है या दूसरे शब्दों में, किसी विशेष इकाई में कितने श्रमिक काम कर रहे थे, अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न का निर्णय पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की सराहना के आधार पर न्यायालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

18. एक बार जब न्यायालय ऐसे प्रश्न पर निष्कर्ष दर्ज कर लेता है, चाहे वह सहमति का हो या उलट का, तो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील की सुनवाई करते समय निष्कर्ष को आम तौर पर इस न्यायालय पर बाध्यकारी माना जाता है।

19. ऐसा तभी होता है जब ऐसा निष्कर्ष कानून या साक्ष्य के किसी भी प्रावधान के खिलाफ पाया जाता है या इस हद तक पूरी तरह से विकृत पाया जाता है कि कोई भी औसत न्यायिक व्यक्ति इस तरह के निष्कर्ष को कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, इसे वरिष्ठ न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। .

20. जब यह सवाल उठता है कि "कामगार" की स्थिति क्या है, तो इस न्यायालय ने माना है कि इसे कानून के मामले के रूप में पाए गए तथ्यों से अनुमान लगाया जाना चाहिए और यदि इसमें शामिल प्रश्न कानूनी निष्कर्ष निकालने में से एक है पाए गए तथ्यों से किसी पार्टी की स्थिति क्या है, यह तथ्य का शुद्ध प्रश्न नहीं है। यह माना जाता है कि यदि ट्रिब्यूनल द्वारा श्रमिक की स्थिति के संबंध में निकाले गए निष्कर्ष में कुछ कानूनी परीक्षणों का अनुप्रयोग शामिल है, तो यह आवश्यक रूप से तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न बन जाता है।

21. हालाँकि, इस न्यायालय ने आगाह किया है कि यह याद रखना चाहिए कि भले ही उठाया गया प्रश्न तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्नों में से एक हो, यह न्यायालय ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह उक्त निष्कर्ष से संतुष्ट न हो स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से ग़लत है। (एआईआर 1967 एससी 428 देखें)

22. दोनों स्वर्गदूतों से प्रश्न की जांच करने की दृष्टि से, जिसे ऊपर नोट किया गया है, हमने साक्ष्यों का अवलोकन किया और पक्षों से इस न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य दाखिल करने का भी आह्वान किया और इसे दायर किया गया।

23. रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, हम उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, भले ही वह उलटा हो। दूसरे शब्दों में, हम उच्च न्यायालय के तर्क से सहमत हैं और तदनुसार मानते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 की इकाई में प्रासंगिक समय पर नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या 99 थी और 16 विवादित कर्मचारियों की स्थिति को निर्णायक रूप से "कामगार" साबित नहीं किया जा सकता था।

24. सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने कारण बताए कि क्यों औद्योगिक न्यायालय का श्रमिकों की संख्या 115 मानने का निष्कर्ष तथ्यात्मक और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। दूसरा, दिए गए कारण न तो मनमाने हैं, न ही रिकॉर्ड के विरुद्ध हैं और न ही उस घटना के प्रति विकृत हैं, जिससे इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। तीसरा, इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस अपील में इस प्रश्न पर संपूर्ण साक्ष्यों की नए सिरे से सराहना करने में धीमा होगा और अंत में, तथ्य का प्रश्न या कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न होने के कारण, यह इस न्यायालय पर बाध्यकारी है।

25. इसके बावजूद, हमने यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों का अध्ययन किया है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है। हमारे विचार से ऐसा नहीं है. 'हमने देखा कि औद्योगिक न्यायालय ने माना कि 79 श्रमिकों की स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं था। एक कर्मचारी की स्थिति का विवाद केवल 36

कर्मचारियों तक ही सीमित था, अर्थात् उनकी स्थिति "कर्मचारी" या "पर्यवेक्षक" की थी या नहीं। हालाँकि, औद्योगिक न्यायालय ने माना कि सभी 36 कर्मचारियों की स्थिति "श्रमिक" की थी और तदनुसार एक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि 79+36 = 115 कर्मचारी प्रासंगिक समय में इकाई में "श्रमिक" के रूप में काम कर रहे थे।

26. हालाँकि, उच्च न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष को उलटते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 36 कर्मचारियों में से, केवल 20 कर्मचारियों को "श्रमिक" माना जा सकता है और इसलिए, सभी प्रासंगिक समय में श्रमिकों की कुल संख्या 79+20 = 99 था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने सही माना कि अपीलकर्ता द्वारा शेष 16 कर्मचारियों की स्थिति को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया था कि क्या उन्हें भी यूनिट में कार्यरत "कर्मचारी" माना जा सकता है। और, इसलिए, यह मानना संभव नहीं था कि प्रासंगिक समय पर श्रमिकों की कुल संख्या 100 से अधिक थी, अर्थात, 115.

27. हम, उच्च न्यायालय के तर्क से सहमत होते हुए, यह भी पाते हैं कि चूंकि औद्योगिक न्यायालय ने श्रमिकों की संख्या 115 रखते हुए 16 कर्मचारियों की स्थिति के संबंध में विस्तार से चर्चा नहीं की, सिवाय 36 (20 + 16) को जोड़ने के। 79, उच्च न्यायालय स्वीकार्य सीमा तक साक्ष्य पर विचार करने में सही था और औद्योगिक न्यायालय के निष्कर्ष को उलट दिया। हमारे विचार में, औद्योगिक न्यायालय को ऐसे प्रत्येक विवादित कर्मचारी की स्थिति की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए कि क्या उन्हें "कर्मचारी" माना जा सकता है। हालाँकि, ऐसा नहीं किया गया।

28. अपीलकर्ता-संघ के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बीएच मार्लापल्ले ने पूरे सबूतों और फैक्ट्रीज़ अधिनियम, 1948 और वेतन भुगतान अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की मदद से दोनों अधिनियमों में निर्धारित वैधानिक रूपों सहित जोरदार बहस की। यूनिट में काम करने वाले श्रमिकों का विवरण दाखिल करने के लिए कि औद्योगिक न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की तुलना में अधिक प्रशंसनीय और उचित प्रतीत होता है और इसलिए औद्योगिक न्यायालय का निष्कर्ष बहाल किए जाने योग्य है।

29. हमने ऊपर जो कहा है उसके आलोक में हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे विचार में, अपीलकर्ता ने, 16 कर्मचारियों की स्थिति को साबित करने के लिए, प्रतिवादी नंबर 1 के साक्ष्य के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। इसलिए, इस न्यायालय के लिए यह मानना संभव नहीं है कि उच्च न्यायालय का

निष्कर्ष पूरी तरह से मनमाना या अवैध या साक्ष्य के विरुद्ध है। हम अब इस तथ्यात्मक प्रश्न में नहीं जाना चाहते।

30. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तब आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक त्रुटि की है जब उसने सबूतों की फिर से सराहना की और फिर संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत औद्योगिक न्यायालय के निष्कर्ष को उलट दिया। हमारी दृष्टि में ऐसा प्रतीत नहीं होता।

31. पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय यह देखना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कानून के अनुसार किया है और अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में कोई अवैधता या विकृति नहीं की है।

32. किसी निष्कर्ष को दर्ज करते समय, यदि उच्च न्यायालय को यह पता चलता है कि अधीनस्थ न्यायालय भौतिक साक्ष्यों पर विचार करने में विफल रहा है या बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष को दर्ज किया है, तो उच्च न्यायालय ऐसे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का हकदार होगा। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए। इस तरह के मामले यहां है।

33. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को परेशान करना उचित नहीं मानते हैं जो औद्योगिक न्यायालय की तुलना में अधिक प्रशंसनीय और उचित हैं।

34. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम यह भी मानते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 1990 में यूनिट को बंद करने की घोषणा के समय अपनी विनिर्माण इकाई में 99 श्रमिकों को नियोजित किया था। चूंकि श्रमिकों की संख्या 100 से कम थी, इसलिए ऐसा नहीं था। प्रतिवादी नंबर I के लिए अध्याय VB का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, ऐसी परिस्थितियों में, धारा 25-के के प्रावधान प्रतिवादी नंबर 1 पर लागू नहीं होते।

35. यह हमें अगले प्रश्न की जांच करने के लिए ले जाता है कि श्रमिक प्रतिवादी नंबर 1 (कंपनी) से कितना मुआवजा और किस मद के तहत प्राप्त करने के हकदार हैं।

36. हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने कहा कि कुल श्रमिकों में से, अधिकांश श्रमिकों ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रस्तावित मुआवजे को स्वेच्छा से स्वीकार करके अपने दावों का निपटान किया है। विद्वान वकील ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए मुआवजे में (i) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत देय ग्रेच्युटी की राशि, (ii) [.डी. के तहत देय समापन मुआवजा शामिल है। अधिनियम, और मुआवजे के इन दो वैधानिक भुगतानों के

अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रत्येक कर्मचारी को अनुग्रह भुगतान के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिनों की मजदूरी का भी भुगतान किया। यह भी कहा गया कि अब मुश्किल से 16 या उससे अधिक श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि जब उन्हें मुआवजे की पेशकश की गई तो उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और वर्तमान मुकदमे पर मुकदमा चलाने को प्राथमिकता दी।

37. प्रतिवादी संख्या एल के विद्वान वकील ने कहा कि 1990-1991 में प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान किया गया कुल मुआवजा 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये के बीच है।

38. उपर्युक्त पृष्ठभूमि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम मुआवजे को स्वीकार नहीं करने वाले प्रत्येक श्रमिक को 2,50,000/- रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये) का मुआवजा एकमुश्त देना उचित और उचित मानते हैं।

39. उचित सत्यापन के बाद ऐसे प्रत्येक श्रमिक को 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान किया जाए। यदि कोई श्रमिक किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं है, तो उचित सत्यापन करने के बाद, ऐसे श्रमिक को देय राशि का भुगतान उसके कानूनी प्रतिनिधियों या निकटतम रिश्तेदारों, जैसा भी मामला हो, को किया जाएगा।

40. प्रतिवादी नंबर 1, तदनुसार, ऐसे सभी श्रमिकों को देय संपूर्ण मुआवजा विवरण के साथ औद्योगिक न्यायालय, पुणे में जमा करेगा। फिर प्रत्येक श्रमिक या उसके कानूनी प्रतिनिधियों को, जैसा भी मामला हो, औद्योगिक न्यायालय द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा ताकि श्रमिक औद्योगिक न्यायालय से राशि निकालने में सक्षम हो सकें।

41. प्रत्येक कर्मचारी या उसके नामांकित व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, राशि का भुगतान उसके नाम पर या कानूनी प्रतिनिधियों के नाम पर जारी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। इसे उसके बैंक खाते में विधिवत जमा किया जाएगा ताकि वह इसे निकाल सके।

42. अपीलकर्ता औद्योगिक न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगा। औद्योगिक न्यायालय इस न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इस आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करेगा।

43. हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश केवल उन श्रमिकों पर लागू है जिन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 से मुआवजा स्वीकार नहीं किया है।

44. दूसरे शब्दों में, वे कर्मचारी जिन्होंने पहले ही मुआवजा स्वीकार कर लिया है, वे इस आदेश का कोई लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।

45. इन निर्देशों के साथ, अपील का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।

निधि जैन अपील निस्तारित।

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।